

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 54 : Tax invoice in special cases

- (1) An Input Service Distributor invoice or, as the case may be, an Input Service Distributor credit note issued by an Input Service Distributor shall contain the following details:-
- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the Input Service Distributor;
 - (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters & hyphen or dash and slash symbolised as- “-”, “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
 - (c) date of its issue;
 - (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the recipient to whom the credit is distributed;
 - (e) amount of the credit distributed; and
 - (f) signature or digital signature of the Input Service Distributor or his authorized representative:

Provided that where the Input Service Distributor is an office of a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, a tax invoice shall include any document in lieu thereof, by whatever name called, whether or not serially numbered but containing the information as mentioned above.

- ¹(1A) (a) A registered person, having the same PAN and State code as an Input Service Distributor, may issue an invoice or, as the case may be, a credit or debit note to transfer the credit of common input services to the Input Service Distributor, which shall contain the following details:-
- (i) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the registered person having the same PAN and same State code as the Input Service Distributor;
 - (ii) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters -hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
 - (iii) date of its issue;
 - (iv) Goods and Services Tax Identification Number of supplier of common service and original invoice number whose credit is sought to be transferred to the Input Service Distributor;

1 Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-01-2018.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (v) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the Input Service Distributor;
 - (vi) taxable value, rate and amount of the credit to be transferred; and
 - (vii) signature or digital signature of the registered person or his authorised representative.
 - (b) The taxable value in the invoice issued under clause (a) shall be the same as the value of the common services.]
- (2) Where the supplier of taxable service is an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, the said ²[supplier may issue] a ³[consolidated tax invoice] or any other document in lieu thereof, by whatever name called, ⁴[for the supply of services made during a month at the end of the month], whether issued or made available, physically or electronically whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of taxable service but containing other information as mentioned under rule 46.
- ⁵[**Provided** that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of a consolidated tax invoice or any other document in lieu thereof in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).]
- (3) Where the supplier of taxable service is a goods transport agency supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage, the said supplier shall issue a tax invoice or any other document in lieu thereof, by whatever name called, containing the gross weight of the consignment, name of the consignor and the consignee, registration number of goods carriage in which the goods are transported, details of goods transported, details of place of origin and destination, Goods and Services Tax Identification Number of the person liable for paying tax whether as consignor, consignee or goods transport agency, and also containing other information as mentioned under rule 46.
- (4) Where the supplier of taxable service is supplying passenger transportation service, a tax invoice shall include ticket in any form, by whatever name called, whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of service but containing other information as

-
- 2 Substituted for "supplier shall issue" by Noti. No. 55/2017–Central Tax, dt. 15-11-2017 w.e.f. 15-11-2017.
 - 3 Substituted for "tax invoice" by Noti. No. 45/2017–Central Tax, dt. 13-10-2017 w.e.f. 13-10-2017.
 - 4 Inserted by Noti. No. 45/2017–Central Tax, dt. 13-10-2017 w.e.f. 13-10-2017.
 - 5 Proviso inserted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

mentioned under rule 46:

⁶[**Provided** that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of ticket in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).]

⁷[(4A) A registered person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens shall be required to issue an electronic ticket and the said electronic ticket shall be deemed to be a tax invoice for all purposes of the Act, even if such ticket does not contain the details of the recipient of service but contains the other information as mentioned under rule 46:

Provided that the supplier of such service in a screen other than multiplex screens may, at his option, follow the above procedure.]

(5) The provisions of sub-rule (2) or sub-rule (4) shall apply, *mutatis mutandis*, to the documents issued under rule 49 or rule 50 or rule 51 or rule 52 or rule 53.

6 Proviso inserted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018.

7 Sub-rule (4A) inserted by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019 w.e.f. 01-09-2019.

नियम 54 : विशेष मामलों में कर बीजक

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी, यथास्थिति, कोई इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय टिप्पण में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :

- (क) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह – हाइफन या डैश और स्लैश अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः “-” और “/” के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा;
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता, जिसे प्रत्यय वितरित किया गया है, का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
- (ङ.) वितरित प्रत्यय की रकम; और
- (च) इनपुट सेवा वितरक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर:

परन्तु जहां इनपुट सेवा वितरक किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, का कार्यालय है तो किसी कर बीजक में उसके स्थान पर कोई दस्तावेज शामिल होगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं किन्तु उसमें यथा उपरोक्त वर्णित सूचना अंतर्विष्ट हो।

¹[(1अ) (क) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान पैन और राज्य कोड रखता है, वह सामान्य इनपुट सेवा के जमा को इनपुट सेवा वितरक को अंतरित करने के लिए बीजक या यथास्थिति, जमा या विकलन टिप्पण जारी कर सकेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :

- (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान पैन और राज्य कोड रखता है का नाम पता तथा माल और सेवा का पहचान संख्या;
- (ii) सोलह अक्षरों से अनधिक क्रमवर्ती क्रम संख्या, एक या बहु श्रेणियां जिसके अंतर्गत वर्ण या अंक या विशेष अक्षर हाइफन अथवा डैश या स्लैश चिह्न जैसे कि क्रमशः “-” और “/” और वित्तीय वर्ष के लिए कोई विशिष्ट सहयोजन;
- (iii) जारी करने की तारीख;
- (iv) सामान्य सेवा के आपूर्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्या तथा मूल बीजक सं. जिसकी जमा इनपुट सेवा वितरक को अंतरित करना चाही गई है;
- (v) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता तथा माल और सेवाकर पहचान सं.;
- (vi) जमा का कराधेय मूल्य, दर और रकम जो अंतरित की जानी है; और

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा उप-नियम 1(अ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.01.2018)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

(vii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।

(ख) खंड (क) के अधीन जारी बीजक में कराधेय मूल्य सामान्य सेवाओं के मूल्य के समान होगा।]

(2) जहां इनपुट सेवा वितरक कोई बीमांकक या कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था है, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, तो उक्त ²[प्रदायकर्ता उसके स्थान पर ³[समेकित कर बीजक] या कोई अन्य दस्तावेज जारी कर सकेगा] चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो ⁴[मास के अंत में मास के दौरान सेवाओं की पूर्ति के लिए], चाहे भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिकी रूप से जारी किया गया हो या उपलब्ध कराया गया हो या क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं और चाहे उसमें कराधेय सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किन्तु उसमें नियम 46 के अधीन वर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हो।

⁵[परन्तु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार समेकित कर बीजक या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।]

(3) जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता कोई माल परिवहन अभिकरण है, जो किसी माल वाहक में सड़क द्वारा मालों के परिवहन के संबंध में सेवाओं की प्रदाय कर रहा है, उक्त प्रदायकर्ता उसके स्थान पर चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा, जिसमें पारेषण का समग्र भाग, पारेषणकर्ता और पारेषिती का नाम, उस माल वाहक की रजिस्ट्रीकरण संख्या, जिसमें मालों का परिवहन किया जाता है, परिवहन किए जा रहे मालों के ब्यौरे मूल और गंतव्य स्थान के ब्यौरे, कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, चाहे पारेषक या पारेषिती या माल परिवहन अभिकरण के रूप में, का माल और सेवाकर पहचान नंबर तथा अन्य सूचना, नियम 46 के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना भी अंतर्विष्ट होगी।

(4) जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता यात्री परिवहन सेवा की प्रदाय कर रहा है, कर बीजक में किसी भी रूप में टिकट सम्मिलित होगा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो, और चाहे उसमें सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किन्तु उसमें नियम 46 के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी।

2 अधिसूचना क्रमांक 55/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर [समेकित कर बीजक] या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.11.2017)।

3 अधिसूचना क्रमांक 45/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 13.10.2017 द्वारा "कर बीजक" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.10.2017)।

4 अधिसूचना क्रमांक 45/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 13.10.2017 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.10.2017)।

5 अधिसूचना क्रमांक 74/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

⁶[परन्तु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार टिकट जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।]

⁷[(4क) बहुविध स्क्रीनों में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इलेक्ट्रानिक टिकट जारी करे और उक्त इलेक्ट्रानिक टिकट अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए कर बीजक के रूप में समझी जाएगी, भले ही ऐसे टिकट में सेवा के प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे अंतर्विष्ट क्यों न हो किन्तु इसमें नियम 46 के अधीन उल्लेखित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हो :

परन्तु बहुविध स्क्रीनों से भिन्न स्क्रीन में ऐसी सेवा का पूर्तिकार, अपने विकल्प पर उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर सकेगा।]

(5) उपनियम (2) या उपनियम (4) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 49 या नियम 50 या नियम 51 या नियम 52 या नियम 53 के अधीन जारी दस्तावेजों को लागू होंगे।

6 अधिसूचना क्रमांक 74/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

7 अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा उपनियम (4क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.09.2019)।